

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है-।
- (v) उपकार जमा करवाने के लक्ष्य निम्नोक्त शर्तों के तहत एकल खंडकी केवल आवासीय भूखण्डों के कार्यालय नगर निगम, जोधपुर,

आवेदन क्रमांक 118 दिनांक 15/03/2024
 माधन (तीमती) अनिता भाटी फ्लो (सी) ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवेदन
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण शर्तें रुपये 19,552/- जमा
 करिये रसीद संख्या 9063/2204-6263
 दिनांक 15/03/2024 को जमा की है ।

राम लाल श्री
 री. नं०: जी-4/2 खसरा खंडा 836/सा।
 खेती का कुंडा एवं लूनी परियोजना-के
 बीच पाठ्य रीड

दिनांक 15/03/2024
 सहायक नगर निगम
 जोधपुर
दक्षिण

अनिता